SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No	plaint or report madeon
Name and address of the Complainant	
2116	25 11C 0 B
AN AND THE STATE OF THE STATE O	Apple 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Name parentage caste and	address of named
Name, parentage, caste and	iddless of accused
D 324 वीर 310 खड़का सिंह फार	60 8 10 0112 05 05 JUES
8 होन् 510 वि-ित पार्वेड R/o प	म्बल जनाती - गाहर
3 SIKE SIG SSOM THE CILLY	RIOGNOS STEE
The offence, complainant of, and date	of, its alleged commission
क ताब में जिल्ला के कर्मा कर 13 महाक प्रश्नी है	SUE IN SUPER OF LEGIT AN INTERPRETAR
आप पर आरोप है कि दिनांक	्री. 61 को करीब 17 ०० बजे मुकाम
सार्वजनिक स्थान जारूब धर्म शाला ने	्र की भारतीं पर ताश के पत्तीं
से रूपये पैसे की हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल	ते हुए पाए गए।
ऐसा करके आपने सार्वजनिक द्यूत अधि	नेयम 1867 की धारा 13 के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।	
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार	है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
क्रिकेट के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त की क्षेत्र की क्षेत्र की क्षेत्र की क्षेत्र की	मह ताम में पहल की काल में प्राप्त में
A STATE OF THE STA	हस्ता.
The plea of the accused and his	
अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन	출 1
न्या विकास का जुन वर्ष से वान्त्रस वर्रस का सववर्ग	
544210	
2/11/6	हस्ता.
a della	

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

- 01. आरोपी / गण को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- 02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी/गण को सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए अर्थदण्ड ...\ रूप्ये (प्रत्येक अभियुक्त के लिये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राषि के सदाय के व्यतिकम की दषा में अभियुक्त/गण को दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

मेरे निर्देशन पर टंकित

Judicial Magistrate First Class Gohad distt Bhind (M.P.)